संख्या-69/2018/2118/22-2-2017-17(614)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 18 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय कुमार तिवारी उर्फ मोनू पुत्र श्री गौरीशंकर, निवासी जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30942/प्रोबेशन-3 (एम-17.11.2016) दिनांक 26.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय कुमार तिवारी उर्फ मोनू पुत्र श्री गौरीशंकर, जो 610 बर्रा वर्तमान- 57 एल बेबीगंज भठ्ठा, थाना-चकेरी, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। जमीन बटवारे की रंजिश में बंदी ने दिनांक 25.07.2001 को समय लगभग 9.45 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर सुबोध कुमार पाठक एवं प्रमोद कुमार पाठक नामक 02 व्यक्तियों की हत्या की गयी है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-303, 305/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 आयुध अधि0 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-4) कानपुर नगर के आदेश दिनांक 19.12.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.06.2017 तक 15 वर्ष 11 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 05 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बंदी ने जमीन बटवारे की रंजिश में बंदी ने दिनांक 25.07.2001 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर सुबोध कुमार पाठक एवं प्रमोद कुमार पाठक नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु- 35 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वस्थ होने के साथ ही पुन:अपराध करने में अशक्त नहीं है, इसकी पुष्टि जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट,कानपुर नगर द्वारा अितरिक्त 05 बिन्दु में की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विनय कुमार तिवारी उर्फ मोनू पुत्र श्री गौरीशंकर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी विनय कुमार तिवारी उर्फ मोनू (बन्दी संख्या-17366) पुत्र श्री गौरीशंकर, निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-69/2018/2118(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-69/2018/2118/22-2-2017-17(614)/2017

दिनांक 18 जनवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय कुमार तिवारी उर्फ मोनू पुत्र श्री गौरीशंकर, जो 610 बर्रा वर्तमान- 57 एल बेबीगंज भठ्ठा, थाना-चकेरी, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। जमीन बटवारे की रंजिश में बंदी ने दिनांक 25.07.2001 को समय लगभग 9.45 बजे 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर सुबोध कुमार पाठक एवं प्रमोद कुमार पाठक नामक 02 व्यक्तियों की हत्या की गयी है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-303, 305/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 आयुध अधि0 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-4)कानपुर नगर के आदेश दिनांक 19.12.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.06.2017 तक 15 वर्ष 11 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 05 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बंदी ने जमीन बटवारे की रंजिश में बंदी ने दिनांक 25.07.2001 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर सुबोध कुमार पाठक एवं प्रमोद कुमार पाठक नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु- 35 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन:अपराध करने में अशक्त नहीं है, इसकी पुष्टि जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट,कानपुर नगर द्वारा अितरिक्त 05 बिन्दु में की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विनय कुमार तिवारी उर्फ मोनू पुत्र श्री गौरीशंकर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in